

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं०: 969 - मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2015-48-मा०सं०प्र०-02/2001

दिनांक : 26 जून, 2015

फैक्स

- (1) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11),
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/
परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ ।
- (2) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित किये जा चुके हैं को महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01.01.2015 से लागू बढी हुई दर पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं०: 3/2015/वे०आ०-1-600/दस-2015-42(एम)/2008, दिनांक 08.06.2015 के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या 2233-मा०सं०प्र०-(02)/उ०नि०लि०/2014-48-मा०सं०प्र०-02/2001, दिनांक 24.12.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित, वेतनमानों में वेतन प्राप्त कर रहे उत्पादन निगम के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2015 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2015	मूल वेतन का 113 प्रतिशत

- 2- इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.06 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन/भत्ता, सीमान्त भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

कमशः..... 2/-


26/06/15

- 3- निगमादेश सं०: 53/मा०सं०(04)/उनिलि/2009-17-मा०सं०(04)/2003, दिनांक 08.01.2010 में निहित प्राविधानान्तर्गत चिकित्साधिकारियों को स्वीकृत प्रेक्टिस बंदी भत्ता की धनराशि को मंहगाई भत्ता के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 4- मंहगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
- 5- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
- 6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- 7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ते के दिनांक 01 जनवरी, 2015 एवं अग्रेतर भुगतान/अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

- I- दिनांक 01 जनवरी, 2015 से दिनांक 31 मई, 2015 तक की मंहगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2015 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते पर लागू दर से देय होगा, इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 30 जून, 2016 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें सामान्य/अशंदायी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।
- II- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।
- III- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2015 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय मंहगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।
- IV- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 जून, 2015 से (माह जून, 2015 का भुगतान दिनांक 01 जुलाई 2015 को देय) नकद किया जायेगा।

कमश: 3/-


- 8- निगम के आदेश सं० सचिव/उनिलि/सी०पी०एफ०ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बढ़े हुये महंगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रिब्यूटी प्रोविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सी०पी०एफ० खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी०पी०एफ० मद में दी जायेगी।
- 9- उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(मुहम्मद इसलाम)
उप सचिव(02)

सं०: 969 - (1)-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2015, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य एवं नव परियोजनाएं), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (3) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (4) मुख्य अभियन्ता, (मा०सं०)/(मा०सं०-02/03)/(कारपोरेट स्ट्रेटजी)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (5) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा)/चिकित्सा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (6) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (7) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा०सं०-01/02/03/04/05/06/रिफार्म/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ
- (8) अधीक्षण अभियन्ता(रिफार्म), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, गोमतीनगर लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।
- (9) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (10) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (11) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी(वे० एवं ले०)/ (पेंशन)/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (12) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(मुहम्मद इसलाम)
उप सचिव(02)